प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खण्डपीठ

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं
माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायमूर्ति।

विविध अपील क्रमांक 1530/1999

अपीलार्थीगण/आवेदकगण:

1. श्रीमती गुलाबकली, पति स्व. मोहनलाल पटेल, आयु लगभग 27 वर्ष,
2. मनीष कुमार सिंह, पिता मोहनलाल पटेल, आयु लगभग 7 वर्ष,
3. कुमारी संगीता सिंह, पिता मोहनलाल पटेल, आयु 5 वर्ष,
4. अनूत कुमार सिंह, पिता मोहनलाल पटेल, आयु लगभग 3 वर्ष,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी क्रमांक 2 से 4 अवयस्क, प्रतिनिधित्व द्वारा अभिभावक माता श्रीमती गुलाबकली।

सभी निवासी ग्राम-आर.टी.आई. विश्रामपुर कॉलोनी सूरजपुर, जिला सरगुजा (म.प्र.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण:

1. पंजीकृत स्वामी हंसराज भाई पटेल, पिता नारायण, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी पटेल ऑटो सेंटर, मुख्य मार्ग, पेट्रोल पंप के पास, रेलवे स्टेशन चांपा, जिला जांजगीर चांपा (म.प्र.)।
2. भरत यादव, पिता सुरगावली यादव, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम बुढ़ियापार, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया (उत्तर प्रदेश)
3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, द्वारा प्रबंधक, बिलासपुर (म.प्र.)

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपील

उपस्थिति:

- श्री वी.के. पाण्डेय, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता।
- श्री एच.बी. अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री पंकज अग्रवाल, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्तागण।
- प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से कोई नहीं।
- श्री पी. दिवाकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री पी.आर. पाटणकर, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्तागण।

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18 फरवरी, 2008)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति** द्वारा पारित किया गया।

मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 173 के अंतर्गत यह दावेदारों की अपील है जो द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अंबिकापुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 43/93 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 7.5.1999 के माध्यम से अधिनिर्णीत प्रतिकर में वृद्धि हेतु प्रस्तुत की गई है।

2) मृतक मोहनलाल पटेल की दुर्भाग्यशाली विधवा एवं अवयस्क संतानों (दावेदारों) ने दिनांक 24.8.1990 को हुई मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए अधिनियम की धारा

166 के अंतर्गत दावा याचिका दायर कर रु. 13,10,000/- के प्रतिकर की मांग की थी, जब उनकी मोटरसाइकिल को पंजीकरण संख्या एमबीएल-7172 वाले दुर्घटनाकारी ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही तत्काल मृत्यु हो गई थी। दावेदारों ने आगे यह तर्क दिया कि मृतक मोहनलाल पटेल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (संक्षेप में 'एसईसीएल') से रु. 2,000/- प्रति माह कमाता था और अतिरिक्त कार्य समय के कारण रु. 1,000/- प्रति माह भी उपार्जित करता था।

3) दुर्घटनाकारी ट्रक के स्वामी, चालक एवं बीमाकर्ता ने दावे का विरोध नहीं किया और उनके विरुद्ध अधिकरण के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही की गई। ट्रक के बीमाकर्ता ने दावेदारों को प्रतिकर संदाय के अपने दायित्व से इस आधार पर इनकार किया कि ट्रक के चालक के पास वैध चालक अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) नहीं थी और ट्रक का संचालन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) दावेदारों ने अपने दावे के समर्थन में साक्षी आवे.सा.-1 गुलाबकली, आवे.सा.-2 सुरेन्द्र लाल जायसवाल और आवे.सा.-3 अशोक कुमार अग्रवाल का परीक्षण कराया, जबकि दुर्घटनाकारी वाहन के बीमाकर्ता ने खंडन में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5) अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण पर यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक मोहनलाल पटेल की मृत्यु दिनांक 24.8.1990 को हुई मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना दुर्घटनाकारी ट्रक के चालक द्वारा उपेक्षापूर्ण एवं

लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी; और चूंकि दुर्घटनाकारी वाहन ट्रक दुर्घटना की तिथि पर प्रत्यर्थी क्रमांक 3- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास बीमित था, अतः बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी थी।

6) अधिकरण ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक मोहनलाल पटेल की विधवा गुलाबकली को मृतक के नियोक्ता द्वारा अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी, अतः दावेदारों को रु. 50,000/- का एकमुश्त प्रतिकर अधिनिर्णीत किया। अन्य अनुमेय शीर्षों के तहत रु. 10,000/- की अतिरिक्त राशि जोड़कर, दावेदारों को दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक संदाय की तिथि तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल रु. 60,000/- का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के. पाण्डेय ने निवेदन किया कि अधिकरण ने मृतक की आय एवं दावेदारों की निर्भरता का निर्धारण करके तथा निर्भरता को उचित गुणक से गुणा करके देय प्रतिकर की गणना न करने में त्रुटि की है और केवल इस आधार पर कि मृतक मोहनलाल पटेल की विधवा को नियोक्ता द्वारा अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी, मात्र रु. 60,000/- का एकमुश्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में त्रुटि की है।

8) प्रत्यर्थी क्रमांक 3-बीमा कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. दिवाकर ने दूसरी ओर अधिनिर्णय का समर्थन किया और निवेदन किया कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत

रु. 60,000/- का प्रतिकर वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित प्रतिकर है।

9) प्रत्यर्थी क्रमांक 1, दुर्घटनाकारी ट्रक के स्वामी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल ने भी अधिनिर्णय का समर्थन किया।

10) अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि मृतक मोहनलाल पटेल की मृत्यु दिनांक 24-8-1990 को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना दुर्घटनाकारी ट्रक के चालक द्वारा उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी; और दुर्घटनाकारी ट्रक का बीमाकर्ता दावेदारों को प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी था, अब अंतिम रूप ले चुके हैं क्योंकि प्रत्यर्थीगण ने अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त तथ्यों को बिना किसी संदेह के स्थापित करने के लिए अभिलेख पर प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध हैं। हम, इसलिए, उस संबंध में अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) दावेदारों को देय प्रतिकर के निर्धारण के लिए अधिकरण द्वारा अपनाई गई असामान्य पद्धति, हमारे अभिमत में, कायम नहीं रखी जा सकती। अतः, हम प्रतिकर की नए सिरे से गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

12) दावेदारों ने अपनी दावा याचिका में यह तर्क दिया था कि मृतक मोहनलाल पटेल एसईसीएल से वेतन के रूप में रु. 2,000/- प्रति माह प्राप्त करता था और अतिरिक्त कार्य समय के रूप में रु. 1,000/- की और राशि अर्जित कर रहा था। दुर्भाग्यवश,

दावेदारों ने उस आशय का नियोक्ता द्वारा जारी किया गया कोई वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। फिर भी, मृतक मोहनलाल पटेल, जो 32 वर्ष की आयु का था, एक अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए भी, रु. 50/- प्रतिदिन और रु. 1,500/- प्रति माह आसानी से अर्जित कर सकता था। अतः, हम मृतक की आय का निर्धारण रु. 1,500/- प्रति माह और रु. 18,000/- प्रति वर्ष करते हैं।

13) मृतक मोहनलाल पटेल के व्यक्तिगत खर्चों के लिए रु. 18,000/- का 1/3 हिस्सा घटाने के बाद, दावेदारों की निर्भरता रु. 12,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है।

14) यह देखते हुए कि मृतक मोहनलाल पटेल दुर्घटना की तिथि को 32 वर्ष का था और उनकी विधवा गुलाबकली की आयु दावा याचिका में 27 वर्ष दर्शाई गई थी और उनके तीन अवयस्क बच्चे लगभग 7, 5 और 3 वर्ष के थे, हमारा अभिमत है कि वर्तमान प्रकरण में 15 का गुणक उचित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15) रु. 12,000/- की वार्षिक निर्भरता को 15 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकर की राशि रु. 1,80,000/- होती है। अधिकरण द्वारा अन्य अनुमेय शीर्षों के तहत अधिनिर्णीत रु. 10,000/- की राशि को जोड़ने पर, दावेदार दिनांक 24.8.1990 को हुई मोटर दुर्घटना में मृतक मोहनलाल पटेल की मृत्यु के लिए कुल रु. 1,90,000/- का प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

16) प्रकरण के निराकरण में हुए विलंब और इस तथ्य सहित कि प्रकरण में हुए विलंब के लिए केवल बीमा कंपनी को ही दोष नहीं दिया जा सकता है, सभी प्रासंगिक कारकों

पर विचार करते हुए, हम प्रतिकर की वर्धित राशि पर ब्याज की राशि को रु. 30,000/- नियत करना उचित समझते हैं।

17) पूर्वगामी कारणों से, दावेदारों द्वारा प्रतिकर में वृद्धि के लिए अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत रु. 60,000/- के प्रतिकर को बढ़ाकर रु. 1,90,000/- किया जाता है, जिसके साथ रु. 30,000/- की ब्याज की नियत राशि भी देय होगी।

18) प्रत्यर्थी क्रमांक 3- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देशित किया जाता है कि वह रु. 1,30,000/- की वर्धित प्रतिकर राशि और रु. 30,000/- की ब्याज की नियत राशि आज से तीन माह की अवधि के भीतर संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष जमा करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19) वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**